राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.18(36)नविवि/एनएएचपी/2014 पार्ट   जयपुर, दिनांक 20 JAN 2020

आदेश

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 (10 हैक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक) के प्रावधानों में उल्लेखित तालिका 'ब' के बिन्दु संख्या–2 के नोट (ii) तथा टाउनशिप पॉलिसी–2010 (10 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक) के प्रावधानों में उल्लेखित तालिका 'अ' के बिन्दु संख्या–2 के नोट (ii) के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी श्रेणी के भूखण्डों के सामने प्रस्तावित आन्तरिक सड़क की चौडाई लागू भवन विनियमों/ अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी–2009 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रखे जाने का उल्लेख है।

वर्तमान में लागू एकीकृत भवन विनियम–2017 एवं पूर्व में प्रभावी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी–2009 में इस संबंध में ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी के प्रस्तावित भूखण्डों के सामने आन्तरिक सड़क की चौडाई का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अतः राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 के अंतर्गत प्रस्तावित योजनाओं में ई. डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी. के भूखण्डों हेतु आन्तरिक सड़क की न्यूनतम चौडाई निम्न तालिका के अनुसार रखी जावें :–

क्र.स.	प्रस्तावित सड़क की अधिकतम लम्बाई (मीटर)	सड़क की न्यूनतम चौडाई (मीटर)
1.	75	6.0
2.	150	7.5
3.	250	9.0
4.	250 से अधिक	12.0

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव– प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
10. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव– प्रथम